Sixteenth Loksabha

pan>

Title: Need to provide relief measures to flood affected people.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं शहीदों को नमन करता हूँ और विश्व आदिवासी दिवस पर सभी को बधाई देता हूँ। बिहार बाढ़ और सुखाड़ के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। मेरे इलाके में लगातार कोसी, महानंदा, गंडक में बाढ़ की समस्या उत्पन्न है। मैंने कई बार महानंदा बेसिन पर प्रश्न किया है। कई बार मैंने बाढ़ पर कहा है कि उत्तर बिहार की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। गंडक, बेतिया से ले कर सीतामढ़ी तक यही स्थिति हो जाती है। मेरे ही क्षेत्र के सहरसा, सुपौल, नभट्टा, महसी, निर्मल्ली, मरौना आदि पूरा का पूरा इलाका कट रहा है। गांव के गांव कट रहे हैं, नभट्टा में कई गांव कट चुके हैं। सर, शिशुपौल के कई गांव कट चुके हैं। निर्मल्ली और मरौना आदि इलाकों में पानी घुस चुका है। महसी की स्थिति भी यही है। जब लोग मरने लगते हैं, तब सरकार इंतजाम करती है। नाव की व्यवस्था नहीं हो पाती है। आम लोगों की नावों पर किसी तरीके से हम चढ़ पाते हैं, सरकार नाव नहीं देती है। सरकार दो किलो चावल पर हम लोगों को बर्बाद कर देती है और उस इलाके में बाढ़ पर जब हायतौबा मचती है तो स्पार पर लूट हो जाती है। वहां के बांध पर लूट हो जाती है। उस इलाके के कैनाल और नहर बर्बाद हो चुके हैं। यह कई बार मैंने कहा है कि यह जो बीरपुर और भीमनगर का इलाका है, क्या कारण है कि पूरे भारत के ठेकेदार वहां जाते हैं और बांधों एवं स्पार को लूट लेते हैं। वहां नेताओं और इन माफिआयों का नैक्सस है। हम लोग बेघर हो चुके हैं। कोसी और सीमांचल के लोग बेघर होने की स्थिति में हैं। पूर्णिया से ले कर कटिहार में एक भी रोड नहीं है। नभट्टा और महसी के इलाके में बाढ़ के कारण रोड बर्बाद हो जाती है। अररिया और किशनगंज की भी यही स्थिति है। मैं चाहता हूँ कि सरकार बाढ़ से होने वाली समस्या पर कुछ ध्यान दे। एक तरफ तो मगध में पानी गायब हो गया है। जहानाबाद, औरंगाबाद आदि में कहीं भी जमीन के नीचे पानी नहीं है। आप पानी पर चितिंत नहीं होते हैं। बिहार सरकार पानी को ले कर गंभीर नहीं है। मेरे क्षेत्र की तरफ लगातार सहरसा, सुपौल, मधुबनी, झंझारपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया आदि इलाके जलमग्न हो जाते हैं। खगड़िया और सहरसा के हजारों-लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। गरीब आदमी के पास घर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोसी की जो त्रासदी आई थी, उस कोसी की त्रासदी का जो राहत का पैसा था, उसको आप अविलंब दें। जो इसके पहले की त्रासदी का पैसा था, वह भी अभी तक नहीं मिला है। किसी को मुआवजा नहीं मिला है। किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। बेघरों को मुआवजा नहीं मिला है। फसल क्षतिपूर्ति नहीं मिली है। पशु क्षतिपूर्ति नहीं मिली है। इसके लिए मैं सरकार से लगातार मांग करता हूँ। मधेपुरा, सहरसा और सुपौल में लगातार बांधों पर जो सडक बननी थी, वह नहीं बन रही है। महानंदा बेसिन की चिंता सरकार को नहीं है। मैं अविलंब महानंदा बेसिन बनाने की मांग करता हूँ। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हाईडैम को ले कर सरकार गंभीर नहीं है, जबकि नेपाल से बात कर के हाईडैम को बनाना चाहिए। महानंदा, गंडक, कमला, कोसी, गंगा, सोन आदि इन नदियों को जोड़कर उत्तर बिहार को बाढ़ से फ्री करना चाहिए। यह मेरा आग्रह है। वहां पर अधिक से अधिक लोगों के खाने की तुरंत व्यवस्था की जाए, नाव की व्यवस्था तुरंत की जाए और लोग बचें इसकी भी व्यवस्था तुरंत की जानी चाहिए। नभट्टा, बरौना, सुपौल और महसी के आम लोगों की स्थिति सबसे बुरी हो चुकी है।

धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again on Friday, the 10th August, 2018 at 11.00 a.m.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Friday, August 10, 2018/Shravana 19, 1940 (Saka).

---

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No LT 9707/16/18

* Laid on the Table and also placed in Library , See No. LT 9708/16/18

* Laid on the Table and also placed in Library , See No. LT 9711/16/18

* Laid on the Table and also placed in Library , See No. LT 9714/16/18

* Laid on the Table and also placed in Library , See No. LT 9715/16/18

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9717/16/18

* Laid on the Table and also placed in Library , See No. LT 9721/16/18

* Not recoreded

* Not recoreded

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

* Treated as laid on the Table

* Expunged as ordered by the Chair

* Expunged as ordered by the Chair

* Not recorded

* Not recorded.

* The Bill was passed by Lok Sabha on the 10th April, 2017 and transmitted to Rajya Sabha for its concurrence. Rajya Sabha passed the Bill with amendments at its sitting held on the 6th August, 2018 and returned it to Lok Sabha on 7th August, 2018.

* Not recorded

* Not recorded

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi
* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.
* English translation of the speech originally delivered in Bangla.
* English translation of the speech originally delivered in Tamil
* Not recorded